



प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्ष-2210-01-110-04 तथा लेखाशीर्ष-2210-03-110-10 के मानक मद-29-अनुरक्षण में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या-29फ/10/59/25/201, दिनांक 06.02.2026 तथा शासनादेश संख्या-117/2025/आई0/942247/2025-5-6099/121/2023-6, दिनांक 23.04.2025, शासनादेश संख्या-176/2025/आई0/1059681/2025-5-6099/121/2023-6 दिनांक, 19.08.2025, शासनादेश संख्या-221/2025/आई0/1147575/2025-5-6099/121/2023-6, दिनांक 20.11.2025 एवं शासनादेश संख्या-250/2025/आई0/1173852/2025-5-6099/395/2025-6 दिनांक 15.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 23.04.2025 द्वारा अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्ष-2210-01-001-03-110-04 के मानक मद-29-अनुरक्षण में रुपये 10000.00 लाख तथा लेखाशीर्ष-2210-03-110-10 के मानक मद-29-अनुरक्षण में रुपये 8000.00 लाख, इस प्रकार कुल रुपये 17000.00 लाख की प्राविधानित धनराशि को जोड़कर अन्य राजस्व मदों में प्राविधानित धनराशि की एकमुश्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। शासनादेश दिनांक 19.08.2025 द्वारा शासनादेश दिनांक 09.03.1994 द्वारा निर्धारित फॉट के अनुसार कुल प्राविधानित धनराशि रुपये 17000.00 लाख (रुपया एक अरब सत्तर करोड़ मात्र) के सापेक्ष अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्ष-2210-01-110-04-शहरी योजना में सामान्य आवंटन हेतु धनराशि रुपये 4760.00 लाख तथा लेखाशीर्ष-2210-03-110-10-ग्रामीण योजना में सामान्य आवंटन हेतु धनराशि रुपये 3479.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि रुपये 8239.00 लाख (रुपया बयास करोड़ उनतालीस लाख मात्र), शासनादेश दिनांक 20.11.2025 द्वारा अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक-2210-01-110-04-एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय के मद संख्या-29-अनुरक्षण में रुपये 18,51,65,567/- (रुपये अठारह करोड़ इक्यावन लाख पैंसठ हजार पांच सौ सरसठ मात्र) तथा लेखाशीर्षक-2210-03-110-10-एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय के मद संख्या-29-अनुरक्षण में रुपये 8,25,63,695/- (रुपये आठ करोड़ पच्चीस लाख तिरसठ हजार छः सौ पनचानवे मात्र) अर्थात् कुल रुपये 26,77,29,262/- (रुपये छब्बीस करोड़ सतहत्तर लाख उन्तीस हजार दो सौ बांसठ मात्र) तथा शासनादेश दिनांक 15.12.2025 द्वारा अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक-2210-01-110-04-एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय के मानक मद-29-अनुरक्षण में रुपये 16,50,58,503/- (रुपये सोलह करोड़ पचास लाख अठ्ठावन हजार पाँच सौ तीन मात्र) तथा लेखाशीर्षक-2210-03-110-10-

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय के मानक मद-29-अनुरक्षण में रुपये 13,20,45,728/- (रुपये तेरह करोड़ बीस लाख पैंतालिस हजार सात सौ अट्ठाईस मात्र) अर्थात कुल रुपये 29,71,04,231/- (रुपये उन्तीस करोड़ इकहतर लाख चार हजार दो सौ इक्तीस मात्र) को सम्मिलित करते हुये मानक मद-29-अनुरक्षण में प्राविधानित पूर्ण धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित तालिकानुसार वित्तीय वर्ष, 2025-26 में शासनादेश दिनांक 09.03.1994 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में निम्नलिखित तालिकानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-32 के लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवार्य-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-04-एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय के मद संख्या-29-अनुरक्षण में रुपये 2,97,75,927/- (दो करोड़ सत्तानबे लाख पचहत्तर हजार नौ सौ सत्ताईस रुपये) तथा लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवार्य-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-110-अस्पताल तथा औषधालय-10-एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय के मद संख्या-29-अनुरक्षण में रुपये 1,98,90,579/- (एक करोड़ अट्ठानबे लाख नब्बे हजार पाँच सौ उन्यासी रुपये), इस प्रकार कुल रुपये 4,96,66,506/- (चार करोड़ छियानबे लाख छियासठ हजार पाँच सौ छः रुपये मात्र) को सम्मिलित करते हुये मानक मद-29-अनुरक्षण में प्राविधानित पूर्ण धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रुपये में)

क्र०सं०	लेखाशीर्षक	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति
(1)	(2)	(3)
1	2210-01-110-04	2,97,75,927/-
2	2210-03-110-10	1,98,90,579/-
कुल योग		4,96,66,506/-
रुपये चार करोड़ छियानबे लाख छियासठ हजार पाँच सौ छः रुपये मात्र		

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- उक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-291/2025 दिनांक 27.03.2025 तथा शासनादेश संख्या-117/2025/आई0/942247/2025-5-6099/121/2023-6, दिनांक 23.04.2025, शासनादेश संख्या-176/2025/आई0/1053681/2025-5-6099/121/2023-6 दिनांक, 19.08.2025, शासनादेश संख्या-221/2025/आई0/114575/2025-5-6099/121/2023-6, दिनांक 20.11.2025 एवं शासनादेश संख्या-250/2025/आई0/1173852/2025-5-6099/395/2025-6 दिनांक 15.12.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृतियां किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा एवं इसका पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 2,97,75,927 (रुपये दो करोड़ सत्तानबे लाख पचहत्तर हजार नौ सौ सत्ताईस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 2210011100400 एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय मानक मद-29-अनुरक्षण (2) रुपये 1,98,90,579 (रुपये एक करोड़ अट्ठानबे लाख नब्बे हजार पाँच सौ उनासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 2210031101000 एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय मानक मद-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश सरकार।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. निदेशक/वित्त नियंत्रक, चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाय कारपोरेशन।
6. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/कोषागार/मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार/सी0एच0सी0/सी0एच0सी0/वी0बी0डी0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, उत्तर प्रदेश शासन।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।